UPGK010036612021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थितः सिद्धार्थ सिंह (एच. जे. एस.) J.O. Code-UP6318

सत्रवाद संख्या-714/2021

राज्य................ बनाम........................ लक्ष्मी नारायण

मु०अ०सं०-25/2018

अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम, 2003

थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर।

1. पत्रावली पेश हुयी। आवेदक/अभियुक्त लक्ष्मी नारायण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त बुजुर्ग व्यक्ति है, मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। आवेदक/अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करता है एवं जुर्म स्वीकृति के आधार पर अपना मुकदमा समाप्त कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी।

2. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के परिशीलन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा बकाया विच्छेदन में काटी गयी लाईन को बिना भुगतान किये पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने का अपराध किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त का कोई अपराधिक पूर्ववृत अभियोजन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रस्तुत मामले मे अभियुक्त के संस्वीकृति तथा उसके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों के प्रमाणिकता को स्वीकार किये जाने के आलोक में अभियुक्त को धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मे दोषसिद्ध किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अपराध की प्रकृति व अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त के संस्वीकृति के आधार पर उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या दस हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। दोषसिद्ध का अपराध शमनीय प्रकृति का है, अतः उसके विरूद्ध अर्थदण्ड का अधिरोपण प्रस्तुत मामले में न्याय की मंशा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त है।

तद्नुसार अभियुक्त लक्ष्मी नारायण को मु०-3,000/- (तीन हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को तीन माह का कारावास भुगतना होगा।

दिनांक-10.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.03.11 10:05:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court